भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
सत्यमेव जयते
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**
मकान सं0 171, फेज– I, वसन्त विहार, देहरादून – 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006
दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई–मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web:www.nhai.gov.in

NHAI/PIU/VV/2023/ Jhajhra-Asharodi/Forest/ 6844 Dt.24.06.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
जनपद – देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषयः उत्तराखंड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली – देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में – **ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में।**

संदर्भः 1. ई0डी0एस0 दिनांक 03.04.2024
2. डी0पी0आर0 कनसलटेन्ट मै0 योंग्मा इन्जी0 कं0 लि0 का पत्रांक 1906002 दिनांक 19.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाये गये ई0डी0एस0 दिनांक 03.04.2024 के निस्तारण करते हुए अनुपालन आख्या आख्या निम्नानुसार प्रेषित हैः–

Sl. No.	Observations	Compliance
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर–वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर–वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in principle approval' under the Adhiniyam। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर–वन भूमि का चयन कर (KML File, CA Scheme, Maps etc.) प्रेषित करने का कष्ट करें।	जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर–वानिकी क्षेत्र में छमरोली गांव में लगभग 25.4000 हेक्टेयर, द्वार गांव में लगभग 15.8790 हेक्टेयर तथा मकड़ेती गांव में लगभग 14.6350 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है जिसको उत्तराखण्ड शासन द्वारा उनके आदेश संख्या 206/12ए–09 (2023–2026) डीएलआरसी दिनांक 13.06.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से वन विभाग, उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जा चुका है। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 55.914 हेक्टेयर गैर–वानिकी क्षेत्र की भूमि चिन्हित की गयी है। संदर्भित परियोजना में क्षतिपूकर वृक्षारोपण हेतु 20.0849 हेक्टेयर गैर वानिकी भूमि उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। यह भी अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 40.0980 हे0 Degraded वन भूमि पूर्व में ही वन विभाग द्वारा भा0रा0रा0प्रा0 को उपलब्ध करायी गयी है। गैर वानिकी क्षेत्र में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मानचित्र तथा केएमएल फाइल संलग्न हैं। प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम, डीएसएस विश्लेषण एवं भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Suitability of land Certificate) वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने है अतः अनुरोध है कि वांछित अभिलेख अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित /निर्धारित की जायेगी, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।	Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु वचन पत्र सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

क्रमशः...2

NHAI/PIU/VV/2023/ Jhajhra-Asharodi/Forest/ 6844 Dt.24-06.2024

अतः राष्ट्रीय हित की परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि संदर्भित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(पंकज कुमार मौर्य)
महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक
प0का0ई0–वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून – को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून – को सूचनार्थ प्रेषित।
3. टीम लीडर, मै0 योंग्मा इन्जी0 कं0 प्रा0 लि0 – को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

Full Title of the Project: Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No. : FP/UK/ROAD/140350/2021

Date of Proposal: 01/04/2021

Forest Land Proposed For Diversion: Total Area : 20.0849 Hectare

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित /निर्धारित की जायेगी उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

YONGMA ENGINEERING CO. LTD.

पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यू., वसन्त विहार,
देहरादून (उत्तराखण्ड़)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttar.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

N W E S

78°9'35"E 78°10'0"E 78°10'25"E 78°10'50"E

CA Land Coordinates

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 13.935" E	30°23' 2.767" N
2	78°10' 8.221" E	30°23' 7.155" N
3	78°10' 10.669" E	30°23' 15.640" N
4	78°10' 14.767" E	30°23' 24.820" N
5	78°10' 19.271" E	30°23' 28.888" N
6	78°10' 25.737" E	30°23' 25.891" N
7	78°10' 25.827" E	30°23' 20.900" N
8	78°10' 18.779" E	30°23' 15.921" N
9	78°10' 17.147" E	30°23' 14.383" N
10	78°10' 21.178" E	30°23' 7.274" N

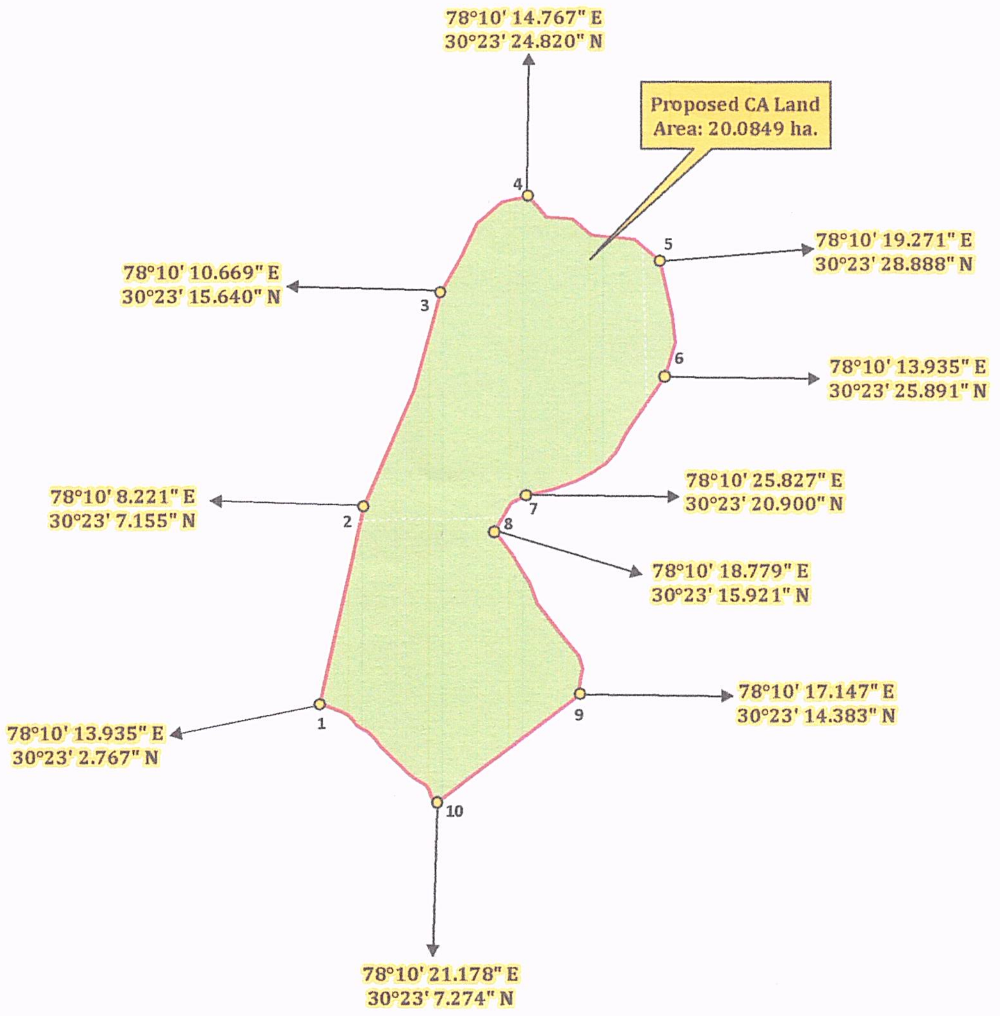

30°23'30"N 30°23'15"N 30°23'0"N 30°22'45"N

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

YONGMA ENGINEERING CO. LTD.

0 400 800 1,600 Meters

SCALE

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land

78°9'35"E 78°10'0"E 78°10'25"E 78°10'50"E

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttar

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 13.935" E	30°23' 2.767" N
2	78°10' 8.221" E	30°23' 7.155" N
3	78°10' 10.669" E	30°23' 15.640" N
4	78°10' 14.767" E	30°23' 24.820" N
5	78°10' 19.271" E	30°23' 28.888" N
6	78°10' 25.737" E	30°23' 25.891" N
7	78°10' 25.827" E	30°23' 20.900" N
8	78°10' 18.779" E	30°23' 15.921" N
9	78°10' 17.147" E	30°23' 14.383" N
10	78°10' 21.178" E	30°23' 7.274" N

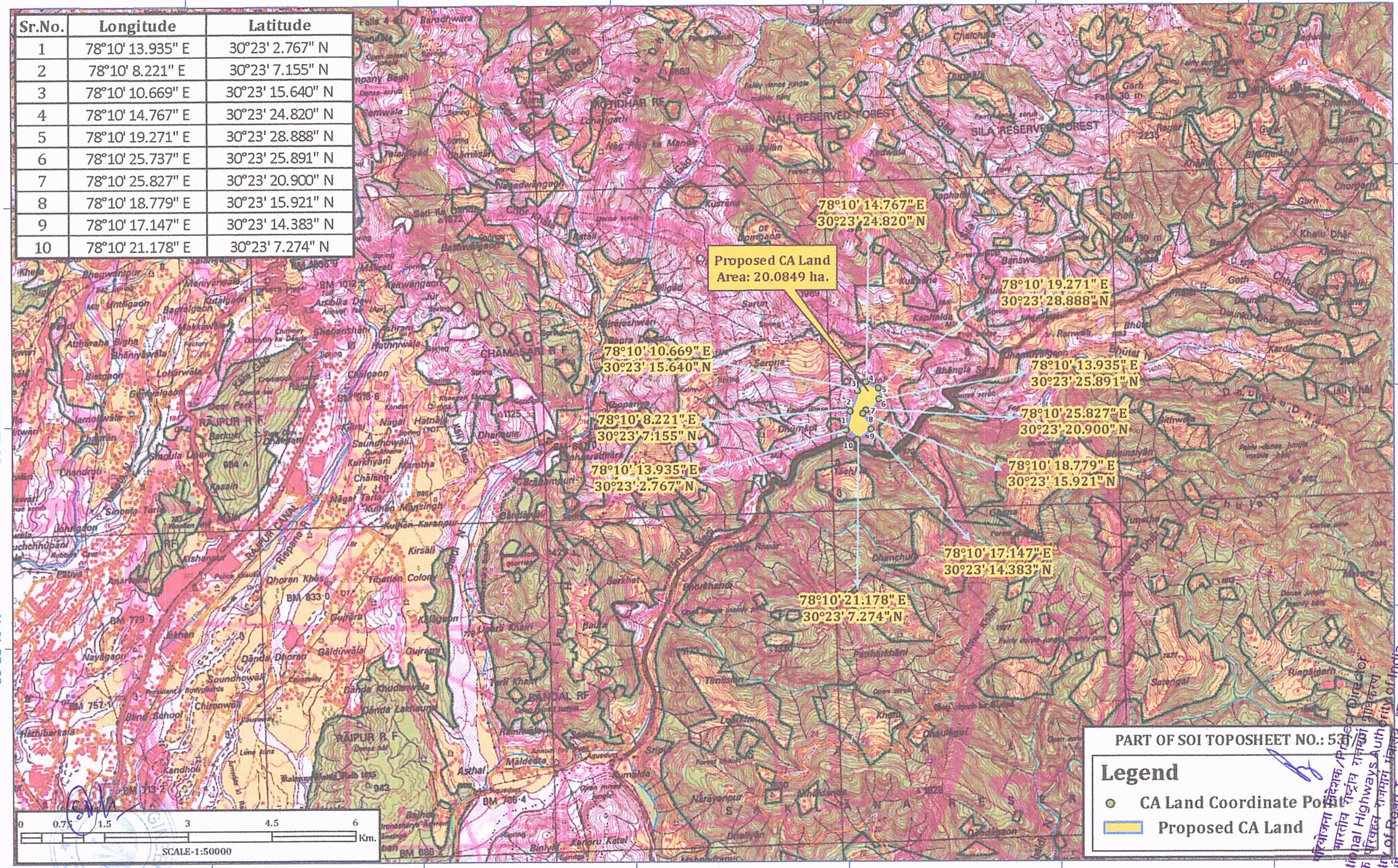

Project Director, National Highways Authority of India, Ministry of Road Transport & Highways

आदेश

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0–वरान्त विहार देहरादून के पत्र संख्या NHAI/PIU/VV/2023/BHAN-RISH&JH-Ash/Forest Issue/6515 दिनांक 01.05.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट–ऋषिकेश किमी 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पारा) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पारा से जोडने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कार्य कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण हेतु रकबा 39.9194 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के द्वारा अपने पत्र संख्या 500/पीए–सत्यापन/2024–25 देहरादून दिनांक 24 मई 2024 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध प्रेषित की गयी है। जिसमें जनपद देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम मकडेती के खसरा नम्बर 5क रकबा 3.0920 है0 श्रेणी 5–3–ख–1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 5 ड़ रकबा 2.3050 है0, ख0न0 21 रकबा 0.1650 है0, ख0न0 167घ रकबा 5.5110 है0, ख0न0 168 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 170ख रकबा 1.0790 है0, श्रेणी 6–4 ढ़ाग जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 182/4क रकबा 2.0230 है0 श्रेणी 5–3–ख–1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम छमरोली के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है0 श्रेणी 5–3–ख–1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम द्वारा के खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है0, ख0न0 2092क रकबा 5.9380 है0, ख0न0 2091 रकबा 0.1740 है0, ख0न0 607 रकबा 1.3510 है0, ख0न0 614मि रकबा 4.1810 है0 कुल रकबा 15.474 है0 श्रेणी 5–3–ख–2 ग्राम समाजो में निहित जंगल साल ग्राम समाज, कुल रकबा 55.509 है0 भूमि जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट–ऋषिकेश किमी 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कार्य कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण में आने वाली 39.9194 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0–वसन्त विहार देहरादून के द्वारा 39.9194 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण की मांग की गयी है। उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016दिनांक 28 जुलाई 2020, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या–1887/496/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 एवं शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 की शर्तो एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार जनपद देहरादून तहसील देहरादून के मकडेती के खसरा नम्बर 5क रकबा 3.0920 है0 श्रेणी 5–3–ख–1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम मकडेती के खसरा नम्बर 5क रकबा 3.0920 है0 श्रेणी 5–3–ख–1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 5 ड रकबा 2.3050 है0, ख0न0 21 रकबा 0.1650 है0, ख0न0 167घ रकबा 5.5110 है0, ख0न0 168 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 170ख रकबा 1.0790 है0, श्रेणी 6–4 ढाग जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, ग्राम मकडेती के ख0न0 182/4क रकबा 2.0230 है0 श्रेणी 5–3–ख–1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम छमरोली के खसरा नम्बर 283 रकबा 25.4000 है0 श्रेणी 5–3–ख–1 जंगल झाडी जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो, ग्राम द्वारा के खसरा नम्बर 909 रकबा 3.8300 है0, ख0न0 2092क रकबा 5.9380 है0, ख0न0 2091 रकबा 0.1740 है0, ख0न0 607 रकबा 1.3510 है0, ख0न0 614मि रकबा 4.1810 है0 कुल रकबा 15.474 है0 श्रेणी 5–3–ख–2 ग्राम समाजो में निहित जंगल साल ग्राम समाज, कुल रकबा 55.509 है0 भूमि जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट–ऋषिकेश किमी 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण एवं

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कार्य कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण में आने वाली 39.9194 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवटित/हस्तान्तरित किया जाता है :–

1– भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।

3– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।

4– यदि भूमि वन विभाग की रक्षित भूमि हो, तो वह हस्तांतरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित ग्राम वासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तांतरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।

5– वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तांतरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्त कर्ता विभाग द्वारा वन विभाग की उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा।

6– हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।

7– यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

8– उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या: 206/12ए–09 (2023–2026)डी.एल.आर.सी. दिनांक 14 जून 2024

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

4– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, मसूरी।

5– उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमल दरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6– महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक भ0रा0रा0प्रा0 वसन्त विहार देहरादून

जिलाधिकारी,
देहरादून।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून